रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 1987/भाद्र 10, 1909
No. 442] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1987/BHADRA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1987

का.आ. 805(अ):—केन्द्रीय सरकार, पुणे स्टाक एक्सचेंज, लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात "एक्सचेंज" कहा गया है) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1946 का 42) की धारा "3" के अन्तर्गत मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए

आवेदन-पत्र पर विचार करने और इस बात से सन्तुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोक हित में भी होगा, उपर्युक्त अधिनियम, की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस एक्सचेंज को उक्त धारा 4 के अधीन 2 सितम्बर, 1987 से शुरू होने वाली और पहली सितम्बर, 1989 को समाप्त होने वाली 2 वर्ष की और अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों पर मान्यता प्रदान करती है, अर्थात:—

(1) ऐक्सचेंज कम से कम एक ऐसे अंगरेजी दैनिक समाचार पत्र में और एक ऐसे मराठी दैनिक समाचार पत्र में, जो समूचे अथवा मारवान रूप से समग्र महाराष्ट्र में प्रचलित हो, इस अधिसूचना के यथा संभव शीघ्र पश्चात और किसी भी दशा में इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने की तारीख के पश्चात दो वर्षों की अवधि से कम अवधि में, विज्ञापन जारी करके अपनी सदस्य संख्या में 100 सदस्यों की वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

(2) एक्सचेंज अपनी संस्थान नियमावली में भी ऐसे उपयुक्त संशोधन करेगी जिनसे निगमित निकायों को सदस्यता प्राप्त करने की अनमति दी जा सके और वह समस्य पात्र आवेदकों को ग्रहयता भी प्रदान करेगी।

(3) एक्सचेंज की संस्थान नियमावली में इस आशय की व्यवस्था किए जाने के लिए भी समुचित संशोधन किए जाएंगे कि एक्सचेंज के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार के द्वारा, एक्सचेंज की सामान्य प्रणाली के माध्यम से प्रबन्ध परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित सदस्यों में से ही नामित किया जा सकेगा।

[फाइल संख्या 1/41/एस.ई./81-पी.टी.]

पी० जी० मन्कड, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

New Delhi, the 1st September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 805(E).—The Central Government having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Pune Stock Exchange Limited, (hereinafter

referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act recognition to the Exchange for a further period of 2 years commencing on the 2nd September, 1987 and ending with the 1st September, 1989 in respect of contracts in securities, subject to the following conditions namely :—

(i) The Exchange shall take necessary steps to increase its membership by 100, through issue of advertisements at least in one English daily newspaper and in one Marathi daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of Maharashtra as early as possible but in no case later than a period of two years from the date of publication of this notification.

(ii) The Exchange shall suitably amend its Articles of Association to permit corporate membership and shall admit all eligible applicants.

(iii) The Articles of Association of the Exchange shall be suitably amended to proide that the President and the Vice President of the Exchange shall be nominated by the Central Government from among those elected as members of the Council of management through the normal process of the Exchange.

[File No. 1|41|SE|81-Pt]
P. G. MANKAD, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987